

न्यायालय—अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमराँवस्वत्व वाद सं० 199/2019

उत्कर्ष कुमार पाण्डेय वगै०.....वादीगण।

बनाम्

शिवराम पाण्डेय वगै०..... प्रतिवादीगण।

आदेश

04.07.2023 उभय पक्षों की हाजिरी है। आज अभिलेख वादीगण द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक— 20.07.2022 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सी० पी० सी० पर आदेश हेतु नियत है। इस आवेदन में वादीगण का कहना है कि वर्तमान मुकदमा वादीगण द्वारा अपने हक हिस्से के अनुसार बंटवारा हेतु लाया है। प्रतिवादीगण को इस वाद की जानकारी है तथा मुकदमा के लम्बित रहने के दौरान कमला पाण्डेय से विवादित जमीन को विक्री करने हेतु बातचीत करना शुरू कर दिये हैं। प्रतिवादीगण विवादित भूखण्ड को असमाजिक तत्वों के हाथ विक्री कर देने तथा केस लड़ाकर बर्बाद करने की धमकी देते रहते हैं तथा प्रतिवादीगण यह भी धमकी देते हैं कि विवादित जमीन के क्रेता से मिलकर वादीगण को बेदखल कर देंगे तथा कोई भी हिस्सा नहीं देंगे तथा उनके साथ मिलकर उपजाऊ जमीन में गढा कर देंगे तथा विवादित जमीन का स्थिति को पूर्णतः परिवर्तित कर देंगे। वादी सं० 1 से 3 नाबालिग हैं तथा उनके जमीन को हड़पने के लिए प्रतिवादीगण जाली केवाला करने की धमकी दे रहे हैं। इस वाद में वादीगण का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन है। वादी द्वारा पूर्व में भी एक निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक— 02.09.2019 को दाखिल किया था जिसकी जानकारी रहते हुये प्रतिवादी सं० 2 मंजू देवी, पति संतोष कुमार एवं एक अन्य मंजू पति नारद पाण्डेय आपस में एक राय होकर विवादग्रस्त जमीन के निश्चय दो जाली केवाला 25.02.2022 एवं 09.05.2022 का कर दिये हैं अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुये विवादित जमीन को इस वाद के निष्पादन तक बेचने से रोक दिया जाये तथा यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया जाये।

लगातार

04.07.2023

प्रतिवादी सं० 1 के तरफ से इस आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक-05.09.2022 को दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य की नजर में पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण अपने परिवार के कर्ता हैं तथा अपने परिवार के आवश्यकता को पूरा करने के लिए विवादित जमीन को बेचा है। विवादित जमीन को लेकर अन्य न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। केवालेदारों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण विवादित जमीन को विक्री कर सम्पत्ति को बर्बाद कर रहा है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन नहीं है तथा निषेधाज्ञा नहीं प्राप्त होने से उन्हें कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी अतः वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज किया जाये।

वादी के तरफ से एक अन्य आवेदन दिनांक- 26.06.2023 को दाखिल कर प्रार्थना किये हैं कि न्यायालय द्वारा विवादित जमीन पर उभय पक्षों को यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिनांक- 27.04.2023 को दिया गया, जिसकी निर्धारित समय सीमा 60 दिनों की है अतः इस समय सीमा को विस्तार करते हुये इस वाद के निर्णय तक बढ़ाया जाये।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस वाद में प्रतिवादी सं० 2 से 5 के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में यह वाद धारा 89 सी० पी० सी० के अन्तर्गत सुनवाई पर है। वादीगण द्वारा यह वाद वादपत्र के सूची सं० 2 में वर्णित जमीन का बंटवारा हेतु लाया गया है। वादपत्र में वर्णित वंशावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी सं० 1 से 3 प्रतिवादी सं० 1 शिवराम पाण्डेय के नाबालिग लड़के एवं लड़कियां हैं तथा वादी सं० 4 प्रतिवादी सं० 1 की पत्नी हैं। वादीगण अपना प्रथम दृष्टया केस साबित करने हेतु विवादित जमीन से सम्बंधित हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति दाखिल किये हैं जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन वादीगण एवं प्रतिवादीगण वंशज कन्हैया पाण्डेय के नाम से हाल सर्वे खतियान है अतः वादी का प्रथम दृष्टया केस बनता प्रतीत होता है। वादीगण के तरफ से दो विवादित जमीन के विक्री सम्बंधी दिनांक- 15. 03.2023 का इन्टरनेट से डाउनलोडेड

लगातार

04.07.2023

प्रति दाखिल की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि इस वाद के प्रतिवादी सं० 2 द्वारा विवादित जमीन के कुछ अंश की विक्री की गई है। इस वाद के प्रतिवादी मृदुला पाण्डेय वादी सं० 1 से 3 की दादी हैं तथा प्रतिवादी सं० 1 की माँ हैं। प्रतिवादी सं० 3 प्रतिवादी सं० 1 की दादी हैं तथा प्रतिवादी सं० 4 एवं 5 वादी सं० 1 से 3 की बुआ तथा प्रतिवादी सं० 1 की बहने हैं। विवादित जमीन का कुछ अंश इस मुकदमा के दौरान प्रतिवादी सं० 2 के द्वारा विक्री किया गया है। प्रतिवादी का कथन है कि अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विक्री की गई है। दूसरी तरफ वादीगण का कहना है कि विवादित जमीन को विक्री एवं बर्बाद कर वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। उभय पक्षों द्वारा यह माना गया है कि विवादित जमीन अभी उभय पक्षों के संयुक्त जमीन है, परन्तु प्रतिवादीगण का कहना है कि परिवार के कर्ता होने के कारण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनके द्वारा विवादित जमीन के कुछ अंश की विक्री किया गया है। इससे यह तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि वादीगण भी प्रतिवादीगण के परिवार के सदस्य हैं, परन्तु प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित जमीन का बंटवारा हेतु लाया गया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। वादी सं० 1 से 3 नावालिग हैं जिनके हक को बचाव करना न्यायालय का कर्तव्य बनता है, क्योंकि वादी सं० 1 एवं 3 द्वारा अपने पिता, दादी एवं बुआगण के विरुद्ध वाद लाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि इनके पिता एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्य इनके हित का ध्यान रहीं रख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में विवादित जमीन की विक्री होने पर वादीगण को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है अतः इस वाद के उभय पक्षों को इस वाद के निष्पादन तक विवादित जमीन को बेचने से रोका जाता है।

वास्ते दिनांक—7-8-23 धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सुनवाई हेतु।

लेखापित

सब जज द्वितीय, डुमराँव ।